न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–03, बरेली।

वाद सं0–4562/2021

सरकार बनाम कल्लू।

मु0अ0सं0–299/2019

धारा–60 आबकारी अधिनियम।

थाना शाही, बरेली।

दिनांक 01.08.2023

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **कल्लू** की ओर से मु0अ0सं0–299/2019, अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना शाही, जिला बरेली में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त को वारण्ट के क्रम में आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी वारण्ट के क्रम में आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाद में झूंठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह पूर्णतयः निर्दोष हैं। अतः अभियुक्त को उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को गैर जमानतीय वारण्ट के क्रम में आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **कल्लू** का जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0–299/2019, अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना शाही, जिला बरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा मु0–**20,000/–(बीस हजार) रूपये** का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के **दो जमानती** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रत्यूष प्रकाश)
J.O. Code-UP3365
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या–3, बरेली।

Digitally signed by PRATYUSH PRAKASH
Date: 2023.08.03 12:32:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court